International Journal of Multidisciplinary Education and Research
ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12
Received: 05-11-2019; Accepted: 06-12-2019
www.educationjournal.in
Volume 5; Issue 1; January 2020; Page No. 22-23

बिहार मे लीची के सुदृढ़ विपणन की आवश्यकता

ललिन्द्र कुमार यादव

शोधार्थी, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश
बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की असीम संभावनाएँ हैं। लीची की बागवानी कर नवीकरण के लाभ ले सकते हैं। जरूरत है इसके फलों को पकने के उपरान्त उचित भंडारण, विपणन तथा वितरण की व्यवस्था की। उचित व्यवस्था देशी मुद्रा ही नहीं वरन् विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी सहायक है। यह आवश्यक है कि हम कृषि आधारित (यथा लीची) उद्योगों को बढ़ावा दें। उनके उचित भंडारण, वितरण तथा विपणन की व्यवस्था करें केवल तभी सम्भावनाओं का फायदा उठाया जा सकता है।

मूल शब्द: बिहार, कृषि, उद्योगों, असीम

प्रस्तावना

लीची एक अत्यन्त स्वादिष्ट तथा सुन्दर फल है। इसे "चीनी फल" कहते हैं। इसके मुख्य कारण दो हैं – प्रथम लीची चीन में जन्मी, अतः इसे 'चीनी फल' कहा गया है। दूसरा कारण यह है कि लीची के फलों के गुदे में चीनी की बहुलता होती है। उपरोक्त दोनों कारणों में पहला कारण ही सर्वमान्य एवं अधिक सारगर्भित है। चीनवासी भी दुलार से अपने राष्ट्रीय फल लीची को चीनी फल कहते हैं। अतः लीची दुनिया के लोगों के लिए चीन की सौगात है।

लीची की जन्मभूमि चीन है। वनस्पतिशास्त्री ब्लुम के अनुसार, लीची की जन्मभूमि कोचिन–चाईना और फिलीपाईन द्वीप है, परन्तु ओयस का विचार है कि लीची चीन के क्वानटंग तथा फुकियेन प्रदेशों में जन्मी थी तथा चीन में इसकी बागवानी चौथी सदी में प्रचलित हो चुकी थी। प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री डीकैन्डोल का मत है कि तीसरी सदी के अन्त में लीची को चीन के लोग जान गये थे। हान् शासनकाल (86 से 140 ई. पूर्व) के साहित्य में लीची का विवरण प्रथम बार अंकित मिला है। लीची पर सर्वप्रथम सन् 1059 में टी–साय हसियान ने एक पूर्ण पुस्तक छापी थी। मैके गोवान ने लिखा है कि 2000 ई0 पूर्व काओं टिसू नमक बादशाह को लीची के फल प्रथम बार भेंट के रूप में दिए गए थे। गृहवाटिका में लीची लगाने से परिवार के लिए लीची के मौसम में ताजे फलों की उपलब्धता बनी रहती है। इसक उत्पत्ति चीन के दक्षिण भाग में हुई थी वहाँ उसकी खेती 1000 वर्षों से होती आ रही है।

भारत में लीची उत्पादन

भारत के बंगाल प्रान्त में लीची बर्मा के रास्ते सत्तरहवीं शताब्दी के अन्त में पहुँची। फिर वहीं से धीरे–धीरे बिहार में दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर तथा पश्चिम बंगाल के हुगली जिलों में फैली। विश्व में लीची उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में लीची की बागवानी 25300 हेक्टेयर भूमि में की जाती है जिससे 4.56 लाख टन फल की प्राप्ति होती है। बिहार राज्य में अकेले 25300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लीची की बागवानी होती है, जिससे 3.03 लाख टन फल प्राप्त होता है। भारत में लीची उत्पादन राज्यों में बिहार का प्रथम स्थान है, त्रिपुरा दूसरे तथा पंजाब, नागालैण्ड, अरूणाचल प्रदेश, असम तथा हिमाचल प्रदेश में भी इसकी बागवानी की जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में इसका क्षेत्रफल उत्पादन तथा उत्पादकता निम्नांकित तालिका – 1 में दिखाया गया है।

तलिका 1: भारत में लीची उत्पादन

राज्य	क्षेत्रफल (1000 हेक्टेयर)	उत्पादन (1000 टन)	उत्पादकता
असम	4.1	18.4	4.5
बिहार	25.3	303.3	12.0
झारखंड	0.5	5.0	10.0
उड़ीसा	3.5	8.2	2.3
पंजाब	1.2	11.5	9.6
त्रिपुरा	1.6	8.9	5.6
उतरांखण्ड	8.9	8.8	1.00
पश्चिम बंगाल	4.2	42.0	10.0
अन्य राज्य	4.3	5.9	1.3
कुल	53.6	412.0	7.7

स्त्रोतः कुरूक्षेत्र, सितम्बर 2011, पृष्ठ 33

भारत एवं चीन के अतिरिक्त म्यांमार, थाइलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, हवाई, मॉरीशस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिम द्वीपसमूह प्रमुख लीची उत्पादक राष्ट्र है।

लीची के पके फलों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। पके फलों में शर्करा 11.8 प्रतिशत, प्रोटीन 0.7 प्रतिशत, वसा 0.3 प्रतिशत एवं अनेक विटामिन प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं।

बिहार में लीची उत्पादन

बिहार में उद्योग–धंधों का घोर अभाव है। यहाँ के लोग दूसरे सूबों में जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ कृषि आधारित उद्योग–धंधों की सख्त जरूरत है। इन उद्योगों में लीची उद्योग–धंधे सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं। लीची से मधु उत्पादन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। लीची के वृक्षों पर मंजर लगते ही बगानों में मधुमक्खी के बक्से रख दिये जाते हैं। मधुमक्खियाँ लीची के पुष्प रस को अधिक पसंद करती हैं। इस कारण, अधिक मात्रा में लीची मधु तैयार होती है। महज तीन माह में एक बक्से से 40–45 किलोग्राम मधु प्राप्त होती है। लीची मधु बेहद स्वादिष्ट तथा पौष्टिक होती है जो सबसे अधिक महंगा होता है। लीची का अचार बनाकर अतिरिक्त आमदनी की जा

सकती है। लीची के फलों के पकने से पूर्व तथा लाली आने तक लीची के फलों की तुड़ाई तथा ग्रेडिंग से महिलाओं को अधिक रोजगार प्राप्त है। अशिक्षित औरतों के लिए यह एक अच्छा रोजगार है जो केवल एक महीने के लिए ही प्राप्त है।

लीची सोप–बेरी (सैपिन्डेसी) पौधे परिवार का सदस्य है। इसे वानस्पतिक भाषा में लीची चायनेनसीस नाम से पुकारा जाता है। यह द्विबीजपत्री वृक्ष है, जिसकी ऊँचाई 5–9 मीटर तक होती है। इसकी शाखाएँ फैली हुई तथा पत्तियाँ हल्के रंग की चमकीली होती हैं। लीची के कलमी वृक्षों पर 4–5 वर्ष बाद फूल लगने प्रारम्भ हो जाते हैं। फल पकने पर सूर्ख लाल रंग के हो जाते हैं तथा मौसम में अधिक परिवर्तन का फलों की गुणवत्ता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पके फलों में 30 प्रतिशत छिल्का एवं बीज तथा 70 प्रतिशत गुदा होता है। इनमें 10–15 प्रतिशत चीनी एवं 1.1 प्रतिशत प्रोटीन होता है।

लीची के पेड़ों पर 5–6 वर्ष बाद फूल लगना आरम्भ हो जाता है। फल तैयार हो जाने पर इसे गुच्छों में तोड़कर अच्छी पैकिंग कर बाजार में भेजा जा सकता है। प्रत्येक वृक्ष से 4000 से 6000 तक फल प्राप्त होते हैं। लीची में अनियमित फलन की समस्या नहीं है। अतः इसकी खेती से हर साल आय मिलती रहती है। लीची के बागों में प्रतिवर्ष औसतन 1,30,000 से 1,35,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की आमदनी होती है। लीची के ताजे फलों को 25 प्रतिशत छेद वाले पॉलीथीन के थैलों में पाँच दिनों तक ताजा रखा जा सकता है। लीची के कुछ अगेती किस्में जैसे शाही, रोजसेंटेंड, पूर्वी आदि में फल पकने के समय फट जाते हैं जिससे इनका बाजार भाव कम हो जाता है। लीची की सफल खेती में फल फटने की समस्या अत्यन्त घातक है।

लीची के नये बागों में 10 वर्ष तक दलहनी फसलों जैसे मूंग, मसूर, चना, अरहर, सब्जियाँ जैसे परवल, खीरा, लाल मिर्च, बैंगन, टमाटर तथा पुराने बागों में हल्दी, अदरक, लम्बी पीपर, अरबी, ओल की फसल अतिरिक्त आय के लिए उगाया जा सकता है। प्रक्षेत्र खेती से अधिक अतिरिक्त आय तथा पेड़ों पर कीटों का प्रभाव कम हो जाता है।

बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कृषि विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सघन कृषि योजना, उन्नत बीजों का आविष्कार एवं उपयोग, उर्वरकों एवं कीटनाशी दवाईयों का अधिक उत्पादन एवं उनका उपयोग, कृषि विकास हेतु नई तकनीकी का आविष्कार, लघु एवं सीमान्त कृषक विकास योजनाएँ, कृषि–बीमा, कृषि क्षेत्र में आवश्यक ऋण की उपलब्धि हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि कार्यक्रम शुरू किए गए। बिहार कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कृषि क्षेत्र में समान प्रगति नहीं कर सका। कृषि उत्पादन में वृद्धि होते हुए भी कृषकों की कृषि व्यवसाय से उत्पादों की उचित विपणन व्यवस्था, कीमत–नीति के अभाव में अनुकूलत्तम लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। कृषि वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उतार–चढ़ाव, मण्डी में विपणन मध्यस्थों की अधिकता, खाद्यान्नों के विपणन लागत की अधिकता, कुरीतियाँ, नियंत्रित मण्डियों का अभाव, कृषकों को उत्पाद के विक्रय से उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है।

विभिन्न फसलों के उत्पाद परिप्रेक्ष्य में खाद्य प्रसंस्करण की सम्भावना बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं फलों, सब्जियों के उत्पादन बागवानी के क्षेत्र में बिहार का स्थान अग्रणी है। लीची के उत्पादन में बिहार राज्य को एकाधिकार प्राप्त है। उचित फसलोत्तर प्रबन्ध एवं प्रसंस्करण के द्वारा इसके उत्पादन एवं मूल्यों में गुणात्मक वृद्धि लाई जा सकती है जो न केवल किसानों के लिए लाभदायक है, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आज के आर्थिक उदारीकरण की स्थिति में बागवानी क्षेत्र की उगते हुए सूर्य से तुलना की जाती है क्योंकि इन फसलों के निर्यात की काफी संभावना है। विश्वप्रसिद्ध मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर अगर थोड़ा भी ध्यान दिया गया होता तो आज लीची उत्पादकों की हालत कुछ और होती। जिले के आर्थिक स्त्रोत में भी इजाफा हुआ होता। बाजार और फल प्रबंधन की कमी से हर साल उत्पादक व कारोबारी बेहतर आय से वंचित रह जाते हैं। लीची विकास के नाम पर अभी तक लीची को राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुशहरी के रूप में एक झुनझुना भर दिया है। अगर मुजफ्फरपुर और इसके आस–पास के जिलों में शाही लीची का उत्पादन बढ़ाने, उपज क्षति को कम करने, इस पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने तथा गुणवत्ता विकास पर जोर दिया गया होता तो कृषि आधारित बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए लीची अब तक वरदान बन गया होता।

निष्कर्ष

मुजफ्फरपुर की शाही लीची की मांग देश के हर कोने में है, जहाँ इसकी कीमत 250 रूपये प्रति किलो तक मिल सकती है। मगर बाजार के विकास पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भंडारण की भी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान औने–पौने दाम में इसकी बिक्री करते हैं। बेहतर किस्म की लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर के अलावा वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण समेत अन्य जिलों में होता है। लीची आधारित उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। किसानों को फायदा होगा। लीची की गुणवत्ता विकास भंडारण एवं बाजार पर योजनापूर्ण ढ़ंग से काम हो तो सूबे की संपन्नता में इजाफा होगा। फलों के संरक्षित पदार्थ का भंडारण, वितरण तथा विपणन अत्यन्त ही लाभकारी है। इसके अलावा, पूर्णरूपेण पके हुए फलों को मशीन द्वारा गुठली निकाल कर संरक्षित करके डिब्बों में बन्द कर विदेशों में भेजा जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। इतना ही नहीं, लीची के पके फलों की जेली, जैसा शर्बत का उद्योग लगाकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है।

बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की असीम संभावनाएँ हैं। लीची की बागवानी कर नवीकरण के लाभ ले सकते हैं। जरूरत है इसके फलों को पकने के उपरान्त उचित भंडारण, विपणन तथा वितरण की व्यवस्था की। उचित व्यवस्था देशी मुद्रा ही नहीं वरन् विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी सहायक है। यह आवश्यक है कि हम कृषि आधारित (यथा लीची) उद्योगों को बढ़ावा दें। उनके उचित भंडारण, वितरण तथा विपणन की व्यवस्था करें केवल तभी सम्भावनाओं का फायदा उठाया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. उद्योग विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना, फरवरी 2016
3. खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट
4. कृषि रोड मैप 2017–2022, बिहार सरकार, अध्याय – 12, खाद्य प्रसंस्करण
5. वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17, उद्योग विभाग, बिहार सरकार